समक्ष–उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

शपथ–पत्र,

मैं.....पुत्र श्री..... निवासी..... मौजा.....

परगना..... तहसील..... जिला–वाराणसी, शपथकर्ता निम्नलिखित बयान करता हूँ :–

1. मेरे द्वारा दिनांक.....को अपने निजी आवासीय भवन संख्या.....गली एव ंमार्ग का नाम.....आराजी नं0.....मौजा..... परगना..... .....मोहल्ला.....वार्ड का नाम.....में मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु दिनांक.....को विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि मेरा उक्त भवन गंगा नदी के किनारे 200 मी0 के अन्दर स्थित है, जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–31229/2005 कौटिल्य सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित दिनांक 28–4–2016 एवं आवास शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–.....दिनांक, 11 मार्च, 2015 के निर्देशों के क्रम में मरम्मत/पुनर्निर्माण की अनुमति में उल्लिखित शर्तों के अधीन आवेदन किया गया है।
2. भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आवेदन पत्र के साथ विद्यमान भवन का मानचित्र, स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख, भवन की लोकेशन की "की–प्लान", साइट प्लान, भवन की वर्तमान में स्थित सभी दिशाओं के फोटोग्राफ्स (तिथि अंकित करते हुए) स्थल पर मौजूद भवन का वर्तमान भू–आच्छादन, विद्यमान सेटबैक, सभी तलों के प्लान, सेक्शन, ऐलीवेशन, आदि अन्य वांछित अभिलेखों के साथ प्राधिकरण में दिनांक.....को जमा किया गया।
3. मेरे द्वारा भवन के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सीवेज एवं ड्रेनेज का निस्तारण सीधे गंगा नदी में नही ंकिया जायेगा।
4. प्राधिकरण द्वारा स्थलीय पुष्टि के उपरान्त यदि प्रस्तुत मानचित्र एवं अन्य दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी जाती है अथवा स्थल पर प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
5. भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मेरे द्वारा प्राधिकरण को इस आशय की लिखित सूचना दी जायेगी।
6. मेरे द्वारा भवन की मरम्मत/पुनर्निर्माण के विभिन्न चरणों (प्लिन्थ लेवल, प्रथम तल का स्लैब, द्वितीय तल का स्लैब, तृतीय तल का स्लैब, आदि) के फोटोग्राफ् सभी यथा–समय प्राधिकरण में जमा किये जायेंगे, जिनके आधार पर प्राधिकरण द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों की समय–समय पर स्थलीय जॉच/पुष्टि की जा सकेगी।
7. भवन की मरम्मत/पुनर्निमाण का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मेरे द्वारा इसकी सूचना प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से दी जायेगी एवं निर्मित भवन के फोटोग्राफ्स (सभी उपलब्ध दिशाओं से) जमा किये जायेंगे।
8. मेरे द्वारा पूर्व निर्मित भवन के वाह्य स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा विद्यमान स्वरूप में ही मरम्मत/पुनर्निर्माण करने के साथ भवन का फ्रन्ट एलीवेशन पूर्व निर्मित भवन के अनुसार ही रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान भवन के "फुट–प्रिन्ट", भू–आच्छादन, एफ.ए.आर. तथा भवन की ऊॅचाई में कोई वृद्धि नहीं करते हुए पूर्व निर्मित भवन के अन्तर्गत ही मरम्मत/पुननिर्माण का कार्य कराया जायेगा।
9. आन्तरिक ले–आउट में परिवर्तन (स्ट्रक्चरल परिवर्तन को छोड़कर) पुराने भवनों में सीमित तल क्षेत्रफल के बेहतर उपयोग अथवा वास्तुदोश के निराकरण की सीमा तक ही आन्तरिक परिवर्तन किया जायेगा।

10. भवन के वर्तमान उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा भवन जिस उपयोग में लाया जा रहा है, उसी उपयोग में रखा जायेगा। भवन का उपयोग प्राधिकरण को प्रस्तुत मानचित्र के विपरीत अन्य उपयोग यथा–होटल–लॉज/रेस्टोरेन्ट/दुकान अथवा किसी अन्य व्यवसायिक उपयोग के लिए किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध कार्यवाही की सकेगी।
11. उपरोक्त प्रस्तर–1 से 10 तक अंकित शपथपूर्वक कथन का अक्षरषः अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा तथा उल्लंघन किये जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही मेरे विरूद्ध किये जाने की स्थिति में मेरे द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जायेगी।

सत्यापन

मैं शपथकर्ता उपरोक्त सापथ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र में पैरा 1 ता 11 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी में सब सच व सही है, इसमें कोई भी तथ्य झूठ व असत्य नहीं है और न ही छिपाई गयी है इबारत तसदीक दीवानी कचहरी, वाराणसी।

शपथकर्ता